


कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर
क्रमांक : एफ.15()95/गोप्र/प्रमुवसं/2948/c

दिनांक 18.7.2013

कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के आदेश सम क्रमांक 2841/सी दि. 17.07.2013 से जारी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की प्रोविजनल वरिष्ठता सूची के विरुद्ध प्राप्त अभ्यावेदनों को इस कार्यालय में प्रेषित करने की अवधि त्रुटिवश 15 दिवस अंकित कर दी गई थी। इसे एतद् द्वारा संशोधित कर 7 दिवस पढा जावें। इस प्रकार समस्त अभ्यावेदन इस कार्यालय में अधिकतम दि. 24.07.13 अथवा इससे पूर्व पहुँच जाने चाहिए। इसके उपरान्त प्राप्त अभ्यावेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा। कृपया उपरोक्तानुसार इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 2841/सी दि. 17.07.13 को संशोधित समझा जावे।


प्रधान मुख्य वन संरक्षक
राजस्थान जयपुर

क्रमांक-एफ.15()95/गोप्र/प्रमुवसं/

दिनांक:

- 1.प्रतिलिपि समस्त वनाधिकारियों को इस कार्यालय के पृष्ठांकन क्रमांक 2842-2942 सी दि. 17.07.2013 के क्रम में सुचनार्थ प्रेषित है
2. प्रतिलिपि कार्मिक/जांच अनुभाग कार्यालय हाजा
3. प्रतिलिपि अध्यक्ष सहायक कर्मचारी संघ वन विभाग जयपुर।
4. प्रतिलिपि नोटिस बोर्ड पर चरपा हेतु।
5. रक्षी पत्रावली।

मुख्य वन संरक्षक एवं प्रावेधिक सहायक
प्रधान मुख्य, राजस्थान, जयपुर